



राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा National Institute of Design Haryana

राष्ट्रीय महत्व का संस्थान
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के
डी पी आई आई टी अधीन एक सांविधिक संस्था
Institute of National Importance
Statutory Institute under the DPIIT
Ministry of Commerce and Industry, Government of India

संदर्भ सं. एनआईडीएच/डीआईआरओएफएफ/21/01/23-24/5558

02 जून, 2023

अधिसूचना

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 15 और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा संविधि, 2023 की परिनियम 12 के अनुसरण में, 25 नवंबर 2022 को आयोजित अपनी 18 वीं बैठक में शासी परिषद की मंजूरी के साथ और आगे संयुक्त सचिव द्वारा अनुमोदन, डीपीआईआईटी और अध्यक्ष, शासी परिषद के पत्र संख्या पी-67012/1/2023-एनआईडी अनुभाग दिनांक 23.05.2023 के तहत, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा के पहले सीनेट का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाता है:

क्र.सं.	पदनाम सहित नाम	सीनेट में स्थिति	एनआईडी अधिनियम 2014 खंड
1.	डॉ. वनिता आहूजा, निदेशक, एनआईडी हरियाणा	अध्यक्ष	पदेन 15(क)
2.	प्रो. रमा भार्गव, डीजी, रुडकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	सदस्य	15 (डी)
3.	प्रो. पी.सी. तिवारी, एचओडी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, एनआईटी, कुरुक्षेत्र	सदस्य	15 (डी)
4.	प्रो. धीरेंद्र दत्त डंगवाल, डीन, स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य	15 (डी)
5.	फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमिता सक्सेना (सेवानिवृत्त), रजिस्ट्रार, एनआईडी हरियाणा	सदस्य सचिव	15 (एफ) और संविधि 12 (1) (बी)
6.	श्री अभय साहनी, वित्त एवं लेखा नियंत्रक, एनआईडी हरियाणा	सदस्य	15 (एफ) और संविधि 12 (1) (बी)

वनिता आहूजा
(निदेशक)

प्रति: सभी सीनेट सदस्य- ईमेल और डाक द्वारा

प्रतिलिपि: श्री आर के सिंह, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी और एनआईडी हरियाणा के जीसी अध्यक्ष-

ईमेल और डाक द्वारा



राष्ट्रीय डिजाइन National Institute
संस्थान हरियाणा of Design Haryana

राष्ट्रीय महत्व का संस्थान
भारत सरकार के याणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के
डी पी आई आई टी अधीन एक सांविधिक संस्था
Institute of National Importance
Statutory Institute under the DPIIT
Ministry of Commerce and Industry, Government of India

Ref. No. NIDH/DIROFF/21/01/23-24/5558

June 02, 2023

NOTIFICATION

In pursuance of Section 15 of the National Institute of Design Act, 2014 and Statute 12 of the National Institute of Design Haryana Statutes, 2023, with approval of the Governing Council in its 18th Meeting held on 25th November 2022 and further approval by the Joint Secretary, DPIIT and Chairperson, Governing Council vide letter No. P-67012/1/2023-NID Section dated 23.05.2023, the first Senate of the National Institute of Design Haryana is hereby constituted with following members;

S.No.	Name with Designation	Position in Senate	NID Act 2014 clause
1.	Dr. Vanita Ahuja, Director, NID Haryana	Chairman	Ex-Officio 15(a)
2.	Prof. Rama Bhargava, DG, Roorkee College of Engineering	Member	15 (d)
3.	Prof. P.C. Tewari, HOD, Mechanical Engineering Department, NIT, Kurukshetra	Member	15 (d)
4.	Prof. Dharendra Datt Dangwal, Dean, School of Liberal Studies, Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi	Member	15 (d)
5.	Flt. Lt. Amita Saxena (Retd.), Registrar, NID Haryana	Member & Secretary	15 (f) and Statute 12(1)(b)
6.	Shri Abhay Sahney, Controller of Finance & Accounts, NID Haryana	Member	15 (f) and Statute 12(1)(b)

Vanita Ahuja
(Director)

To: All the Senate members- by email and post

Copy To: Shri R K Singh, Joint Secretary, DPIIT and GC Chairperson of NID Haryana- by email and post